मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल दिनांक **08-10-2025**

क्रमांक **F-1/1/4/0070/2025-Sec-1-10(FOR)::** राज्य शासन के आदेश क्र/एफ-**1/1/4/0018/2025-Sec-1-10,** दिनांक **17.06.2025** द्वारा श्री महेश कुमार अहिरवार, वनक्षेत्रपाल को विशेष कर्तव्य सामान्य वनमंडल धार से स्थानांतरित कर कार्य आयोजना इकाई शहडोल में पदस्थ किया गया है, जिसके विरूद्ध श्री महेश कुमार अहिरवार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में याचिका क्र/**W.P./28795/2025** दायर की गई।

2/ उपरोक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा दिनांक **07.08.2025** को निर्णय पारित कर निम्न निर्देश दिये गये:-

….. Considering the aforesaid submissions and grievance of the petitioner, this court deems it expedient to dispose of the petition with liberty to the petitioner to file a detailed and comprehensive representation before the respondent no.1 within the period of 15 days from today and if such a representation is submitted, the same shall be considered and decided by the respondent no.1 in accordance with law within the period of 30 days from the date of filing of the representation, by passing a reasoned and speaking order. The outcome of the said representation shall be communicated to the petitioner.

Till then operation of the impugned order dated 17.06.2025 so far it relates to the petitioner shall remain stayed and the petitioner shall be allowed to work at the present place of posting.

With the aforesaid, the present writ petition stands disposed of.

3/ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक **07.08.2025** के पालन में श्री महेश कुमार अहिरवार, वनक्षेत्रपाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक **20.08.2025** में शासनादेश दिनांक **17.06.2025** द्वारा विशेष विशेष कर्तव्य सामान्य वनमंडल धार से कार्य आयोजना इकाई शहडोल में किए गए स्थानांतरण में आंशिक संशोधन करते हुए कार्य आयोजना इकाई इंदौर में पदस्थ करने हेतु लेख किया है कि उनकी पत्नी आयुष विभाग अंतर्गत जिला देवास मे पदस्थ है तथा उनका बेटा इन्दौर मे अध्ययनरत है तथा इन्दौर मे बैडमिण्टन का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है कार्य आयोजना अधिकारी इन्दौर द्वारा कार्य आयोजना इकाई इन्दौर मे पदस्थ वनक्षेत्रपालो को अन्यत्र पदस्थ करने की अनुशंसा की गई है अत: इसके अनुक्रम मे पदस्थापना कार्य आयोजना इकाई इन्दौर में करने की मांग

की है.

4/ श्री अहिरवार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के परीक्षण मे पाया गया कि उनकी पत्नी आयुष विभाग देवास में पदस्थ है एवं श्री अहिरवार की पदस्थिति वनमंडल धार में है दोनो के मुख्यालय पृथक-पृथक है, उनका बेटा कक्षा **6**वीं में इंदौर में अध्ययनरत है। मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की कार्य आयोजना में वन क्षेत्रपाल की पदस्थापना नीति **2011** की कण्डिका **6** अनुसार कार्य आयोजना वनमंडल में पदस्थापना सामान्य स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं मानी गई है। उक्त नीति के अनुसार वरीयता क्रम में आने पर वनक्षेत्रपालों को दो वर्ष हेतु कार्य आयोजना इकाई में पदस्थ किया जाता है। श्री अहिरवार की वर्तमान पदस्थिति वनमंडल धार, वनवृत्त इंदौर अंतर्गत कार्य आयोजना इंदौर में पद रिक्त न होने के कारण उनकी पदस्थिति कार्य आयोजना इकाई शहडोल में रिक्त पद पर की गई है। वनक्षेत्रपाल का पद द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी का पद होने से शासन अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पदस्थापना कर सकता है ।

अतः राज्य शासन एतद्द्वारा समग्ररूप से विचारोपरांत श्री महेश कुमार अहिरवार, वनक्षेत्रपाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक **20.08.2025** अमान्य कर नस्तीबद्ध करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
Digitally signed by
Rajbendra Mishra
Date: 08-10-2025
20:46:03
EX OFFICIO DEPUTY SECRETARY
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ.क्रमांक **F-1/1/4/0070/2025-Sec-1-10(FOR)**, भोपाल दिनांक **08-10-2025**
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्यो.) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु, द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II) मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. संबंधित मुख्य वन संरक्षक एवं वनमंडलाधिकारी .... मध्यप्रदेश की ओर संबंधित वनक्षेत्रपाल को कार्यमुक्त करने हेतु, द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II) मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. संबंधित श्री महेश कुमार अहिरवार, वनक्षेत्रपाल की ओर पालनार्थ, द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II) मध्यप्रदेश, भोपाल, तत्काल भारमुक्त होवे।
9. गार्ड फाईल।

EX OFFICIO DEPUTY SECRETARY
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग